न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 129 / 2020

1 शिवशंकर पुत्र रूपाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज. वादी

बनाम

1 श्रीमती कमला देवी पत्नी हुक्मीचन्द जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 पृथ्वीराज पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
3 पप्पुदेवी पत्नी लुणाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बारा बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
4 बाबुलाल पुत्र ताराचन्द जांति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
5 भागीरथ पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
6 मंजू देवी पत्नी भागीरथ जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
7 मालाराम उर्फ मलाराम पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
8 लुणाराम पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
9 विजयसिंह पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
10 श्रीमती शान्ती देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
11 सुखदेव पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
12 सराज खॉ पुत्र भंवरू खॉ जाति कायमखानी निवासी पानी टंकी के पास, हड़मान धोरा सुजानगढ़ जिला चूरू
13 हड़मान पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 1 गुर्जर बास बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
14 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा बीदासर जिलाचूरू
15 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शखा बीदासर जिला चूरू
16 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :—

1	वादी —	मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2	प्रतिवादी स. 7,11 —	श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट
3	प्रतिवादी स. 8, 13	श्री गौतम सैनी एडवोकेट
4	प्रतिवादी स. 16 —	पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक :— 17/8/2022

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 तेरह के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 28.3405 हैक्टेयर (112—10 बीघा) वाके रोही ग्राम मानपुरा तह. बीदासर में स्थित है जिन्हे आगे दावा में वादगत खेत के नाम से पुकारा गया है उपरोक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि में शिवशंकर की

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

80/2241 हिस्सा (4–00 बीघा) है जिस पर वादी का खरीद के वक्त से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है वादी स्वयं द्वारा काश्त की जाती रही है। वादगत खेत में आवागमन का रास्ता खातेदारी भूमि में से ही छोड़ा हुआ है जिसमें से होकर प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्सा में प्रवेश करता है आवागमन करता है वादी और प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 का खान पान लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सयुक्त अंकित रहने से वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में एवं राजस्व लगान चुकाने में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय में वाद पेश कर अपने 80/2241 हिस्सा की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक अंकित करवा कर लगान का विभाजन करावें जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, हम तुम्हारें हिस्सा की भूमि को भी काश्त करेगे, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 01–10–2020 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि पर जहां चाहेगे वहां जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना ही वादी को उनके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बैदखल करें, वादी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 7 मालाराम व 11 सुखदेव की और से श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 व 8 ता 10 व 12 ता 15 की विधित तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी सख्या 16 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया। वादीगण की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी शिवशंकर ने सशपथ बयान प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। उपरोक्त वाद में हालांकी किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया फिर भी वाद के तथ्य जवाबदेही को देखते हूए इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से तनकीयात विरचित की गई।

1 आया वादगत खसरा नम्बर 147 रकबा 112–01 बीघा (28.3405 हैक्टेयर) रोही मानपुरा में वादी का 80/2241 हिस्सा (4–00 बीघा) है।

जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

2 आया वादगत भूमि में वादी अपने हक हिस्सा का विभाजन मौका कब्जा अनुसार करवाना चाहता है। जिम्मे वादी

3 आया वादगत भूमि में प्रतिवादीगण की पृथक पृथक हिस्सेदारी कब्जा काश्त है। जिम्मे प्रतिवादी

उपरोक्त तमाम तनकीयात को वादी एवं प्रतिवादी को साबित करना था। वादी ने उपरोक्त तनकीयात के समर्थन में साक्ष्य वादी में वादी स. 1 शिवशंकर के बयान लेख बद्ध किये गये, वादी शिवशंकर ने अपने शपथ पूर्वक बयान के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हूए वादपत्र को साबित किया है, वादी ने अपने साक्ष्य के दौरान बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2075–2078 प्रदर्श–1 जो खाता स. 13 बाबत है तथा नक्शा एक्स प्रदर्श 2 है, जो वादगत खेत का है प्रदर्शित करवा कर दावा डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, साक्ष्य शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक परिशीलन किया गया। दोनो तनकीयात एक ही विषय सम्बन्धि होने के कारण दोनो तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 के अवलोकन से व वाद में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र व जवाब प्रतिवादी स. 7, 11 से यह सुस्थिापित होता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 28.3405 हैक्टेयर रोही मानपुरा सयुंक्त खातेदारी भूमि है जिसका मुताबिक कब्जा काश्त एवं खातेदारी हिस्सा के विभाजन किया जाना न्यायहित में है। बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी जाकर पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया, वादी का वाद विभाजन का स्वीकार कर प्रारभिक डिक्री जारी किया जाकर तहसीलदार बीदासर को विभाजन प्रस्ताव हेतू लिखा गया।

तहसीलदार बीदासर ने आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, नक्शा मौका का अवलोकन करने के बाद प्रकरण के प्रतिवादी स. 8, 13, ने प्रकरण की नकलें प्राप्त कर प्रकरण में जवाबदेही का अवसर दिये जाने वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 का प्रस्तुत किया, जिस पर वादी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जवाबदेही में प्रतिवादी स. 8, 13 ने वादी के हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के विभाजन किये जाने की हद तक दावा एवं विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने का जवाब प्रस्तुत किया जो वादी द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी स. 7, 11 ने विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी स. 8, 13 के जवाब पर बहस सुनी गई। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 7, 8, 11, 13 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीयान् के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, अन्य किसी प्रतिवादी द्वारा हाजिर अदालत आकर अपने हिस्सा पांती बाबत किसी प्रकार की जवाबदेही पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही हाजिर पक्षकारान् द्वारा वादी के हक हिस्सा के विभाजन के बाबत किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, प्रतिवादी स. 8, 13 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वादी के हक हिस्सा तक विभाजन किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं हुई है। पत्रावली में आये विभाजन प्रस्ताव एवं मौका नक्शा तथा जवाब प्रतिवादीगण के भलीभांती अवलोकन, परिशीलन एवं परीक्षण से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खेत खसरा नम्बर 147 में वादी के हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के विभान किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

आदेश

बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई एवं पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव, नक्शा मौका का भलीभांती अवलोकन किया गया। वादी का वाद वादी के हक हिस्सा की हद तक स्वीकार कर वाद वादी के पक्ष में अन्तिम डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 28.3405 हैक्टेयर रोही भानपुरा मे वादी का हिस्सा मुताबिक नक्शा मौका के रास्ता का अंकन करते हूए पृथक किया जावे तथा बाकी प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक हिस्सा पांती के इकजाई रखते हूए वादी से पृथक किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/08/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अंज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व
इजलास.............**पीठासीन अधिकारी**........... श्री **श्योराम वर्मा R.A.S.**

.... **शिवशंकर** ...... बनाम ...**कमला देवी आदि**......

दावा बाबत ....**विभाजन** ......

मुकदमा नम्बर...129 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू मोहम्मद शाहिद ....हाजरी ... श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुदई व ....पैरोकार राज, ...मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि .... वादी का वाद वादी के हक हिस्सा की हद तक स्वीकार कर वाद वादी के पक्ष में अन्तिम डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 147 तादादी 28.3405 हैक्टेयर रोही मानपुरा मे वादी का हिस्सा मुताबिक नक्शा मौका के रास्ता का अंकन करते हूए पृथक किया जावे तथा बाकी प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक हिस्सा पांती के इकजाई रखते हूए वादी से पृथक किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

फ़ीस .... मुबलिग....................................बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ....17.............माह........08..............2022

मुहर

दस्तख्त..............
ओहदा...उपखण्ड अधिकारी बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफ़रिक					
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner